न्यायालय
सहायक कलक्टर / उपखण्ड अधिकारी
गुढामालानी
(पीठासीन अधिकारी —केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

वाद संख्याः— 2025 / 411 दर्ज तिथिः—09.06.2025

1. लीलाराम पुत्र उमाराम
   जाति कलबी निवासी नई उन्दरी तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर

........................वादी

बनाम

1. नगाराम पुत्र उमाराम
2. मांगाराम पुत्र उमाराम
3. पेमाराम पुत्र नेथीराम
4. रामाराम पुत्र गिरधारीराम
5. सीतादेवी पत्नी नेथीराम
6. उकाराम पुत्र हरदाराम
7. गोवाराम पुत्र निंबाराम
8. छगनाराम पुत्र तुलछाराम
9. तेजाराम पुत्र लाधाराम
10. दरगीदेवी पत्नी निंबाराम
11. दानाराम पुत्र निंबाराम
12. नेथीराम पुत्र गिरधारीराम
13. पुरखाराम पुत्र मानाराम
14. प्रभूराम पुत्र निंबाराम
15. पांचाराम पुत्र तुलछाराम
16. भूराराम पुत्र हरदाराम
17. मोटाराम पुत्र लाधाराम
18. रूखमोंदेवी पत्नी लाधाराम
19. लालाराम पुत्र निंबाराम
20. वालाराम पुत्र हरदाराम
21. वालाराम पुत्र निंबाराम
22. विरमाराम पुत्र लाधाराम
23. शंकराराम पुत्र लाधाराम
24. हिन्दूराम पुत्र लाधाराम
25. होथीराम पुत्र तुलछाराम
    जाति कलबी निवासी नई उन्दरी तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर

.......................असल प्रतिवादीगण

26. शाखा प्रबंधक, जेटीजीबी शाखा ...

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2026.02.21 14:06:15 IST
Reason: SelfAttested

27. शाखा प्रबंधक बीसीसीबी सिणधरी
28. शाखा प्रबंधक एसबीआई बैंक शाखा गुड़ामालानी
29. शाखा प्रबंधक बालोतरा सहकारी भूमि विकास बैंक शाखा बालोतरा
30. तहसीलदार एवं उपपंजीयक गुड़ामालानी जिला बाड़मेर।

..............तरतीबी प्रतिवादीगण

उपस्थित अधिवक्ता
वादीः— श्री गंगाराम चौधरी
प्रतिवादीगणः— एक तरफा

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा— 53,188
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955

—:निर्णयः—

निर्णय तिथिः—09.02.2026

1. आज यह पत्रावली वाद पत्र अन्तर्गत धारा— 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 का बाबत तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा वास्ते निर्णय किये जाने पेष हुआ है। प्रकरण का सूक्ष्म वृतान्त इस प्रकार से है कि वादी की ओर से वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 बाबत तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा के तहत पेश कर निवेदन किया गया कि संयुक्त आराजी खसरा संख्या 169/0.6394 है0, 76/4.6620 है0, 84/3.2537 है0, 128/1.5378 है0, 165/1.3355 है0, 159/0.0162 है0, 160/5.1800 है0 मौजा नई उन्दरी एवं खसरा संख्या 36/6.5964 है0, 36/1/0.0243 है0 मौजा चिमाणी विश्नोईयों की ढाणी पटवार मण्डल खुडाला तहसील गुड़ामालानी में अवस्थित है। उक्त वर्णित संयुक्त आराजी वादी एवं प्रतिवादीगण असल की शामलाती कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है। राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में वादी का हिस्सा खुला हुआ हैं तथा आराजी संयुक्त खातेदारी में दर्ज है। यह विवादित आराजी अविभाजित है जिसका राजस्व रिकॉर्ड में अभी तक विधिक तकासमा नहीं हुआ है। असल प्रतिवादीगण वादी की उक्त हिस्सा आराजी के कुल कार्य काश्त में रूकावट व मजाहमत पैदा करते हैं एवं जबरन लठ के बल कब्जा कर वादी को अपने हिस्सा आराजी से बेदखल कर निर्माण कार्य, दीगर लोगों रहन बैय मुन्तकिल करना चाहते है। अंत में वाद पत्र में उक्त विवादित आराजीयात का पक्षकारान के मध्य विधिक तकासमा किया जाकर कुर्रेजात कायम कराया जाकर अलग से खाता कायम कराया जाकर सहखातेदारों के लिए रास्ता कायम किया जाकर तकसीम शुदा आराजी का अमल राजस्व रिकॉर्ड में कराया जाकर वादी को तकसीम शुदा आराजी पर दखल दिलाया जाने का निवेदन किया गया।

2. वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। बाद विधिवत तामिल बावजूद प्रतिवादीगण अनुपस्थित रहने से प्रतिवादीगण के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रकरण में अभिभाषक वादी की एकतरफा बहस सुनी गई। प्रकरण में दिनांक 04.12.2025 को प्रारम्भिक डिक्री जारी की जाकर

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2026.02.21 14:06:15 IST
Reason: SelfAttested

तहसीलदार गुढामालानी से कुर्रेजात रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार गुढामालानी के पत्रांक/कोर्ट/2025/2013 दिनांक 31.01.2026 द्वारा राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मंडल) नियम–1955 के नियम–18 लगायत 21 के अनुसार मौका कुर्रेजात रिपोर्ट प्रेषित की गई। उक्त कुर्रेजात रिपोर्ट पर अभिभाषक वादी द्वारा सहमति प्रदान की तथा प्रकरण में अंतिम बहस सुनी गई। तहसीलदार गुढामालानी के प पत्रांक/कोर्ट/2025/2013 दिनांक 31.01.2026 के द्वारा राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मंडल) नियम–1955 के नियम–18 लगायत 21 के अनुसार मौका कुर्रेजात रिपोर्ट को तैयार करने की प्रक्रिया का विवरण निम्न प्रकार हैः–

प्रक्रिया हेतु प्रावधान	अपनायी गई प्रक्रिया
21. Preparation of map and demarcation of sub-divided fields. *- The Tehsildar shall prepare and place on record map showing in different colours the plots given to each party, and if any field has been sub-divided, he shall demarcate the portion at the expense of the parties.*	प्रकरण में दिनांक 14.01.2026 को तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा मय पटवारी/गिरदावर स्वयं मौका निरीक्षण किया जाकर मौका रिपॉर्ट तैयार की गई।
प्रकरण में पक्षकारो को मौका निरीक्षण हेतु जरिये नोटिस मौका निरीक्षण की दिनांक के बारे में पूर्वसूचित किया जाकर मौका रिपॉर्ट तैयार की गई।	1. प्रकरण में समस्त वादीगण को मौका निरीक्षण हेतु कार्यालय तहसीलदार तहसील गुड़ामालानी के नोटिस क्रमांक 2848–2872 दिनांक 19.12.2025 द्वारा मौका निरीक्षण की दिनांक 14.01.2026 के बारे में पूर्वसूचित किया जाकर मौका रिपॉर्ट तैयार की गई। 2. प्रकरण में समस्त प्रतिवादीगण को मौका निरीक्षण हेतु कार्यालय तहसीलदार तहसील गुड़ामालानी के नोटिस क्रमांक 2848–2872 दिनांक 19.12.2025 द्वारा मौका निरीक्षण की दिनांक 14.01.2026 के बारे में पूर्वसूचित किया जाकर मौका रिपॉर्ट तैयार की गई।

3. प्रकरण कुर्रेजात रिपोर्ट पश्चात प्रतिवादी वकील असालतन वकालतन उपस्थित न्यायालय हुए। प्रकरण में वकील उभय पक्षकारान की बहस सुनी गई। वादीगण द्वारा कुर्रेजात रिपोर्ट पर दी गई सहमति एवं बहस पर मनन किया एवं संलग्न दस्तावेजात् जमाबंदी संवत् 2074–2077 तथा कुर्रेजात रिपोर्ट का ध्यानपर्वूक अवलोकन किया। बाद अवलोकन पाया गया कि वादीगण एवं असल प्रतिवादीगण हाल आराजी खसरा संख्या संयुक्त आराजी खसरा संख्या 169/0.6394 है0, 76/4.6620 है0, 84/3.2537 है0, 128/1.5378 है0, 165/1.3355 है0, 159/0.0162 है0, 160/5.1800 है0 मौजा नई उन्दरी एवं खसरा संख्या 36/6.5964 है0, 36/1/0.0243 है0 मौजा चिमाणी विश्नोईयों की ढाणी पटवार मण्डल खुडाला तहसील गुड़ामालानी के संयुक्त खातेदार है। उक्त वर्णित संयुक्त आराजी वादी एवं असल प्रतिवादीगण की शामलाती कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है। जिस संयुक्त आराजी में वादी तथा असल प्रतिवादीगण

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2026.02.21 14:06:15 IST
Reason: SelfAttested

का हिस्सा दर्ज रिकॉर्ड होना प्रमाणित होता है। उक्त विवादित आराजीयात अविभाजित है एवं राजस्व रिकॉर्ड में पक्षकारान के मध्य विधिक तकासमा नहीं हुआ है। पक्षकार की कुर्रेजात रिपोर्ट पर सहमति को ध्यान में रखते हुए पक्षकारान के मध्य उक्त विवादित आराजीयात् का विधिक तकासमा किया जाना आवष्यक है अतः दावा वादीगण मुताबिक विभाजन–प्रस्ताव (कुर्रेजात रिपोर्ट) मय नक्शा– ट्रेस के अनुसार डिक्री किया जाना न्यायोचित है।

4. प्रकरण में वादी द्वारा तकसीम आराजी के साथ–साथ स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष का भी जिक्र किया गया। प्रकरण में वादी के अनुतोष के विवेचन हेतु तथ्यों का गहन विश्लेषण से पूर्व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 की धारा–188 का उद्धरण यहॉ प्रतीत होता है। जो कि निम्न प्रकार हैः–

> ***188. Injunction against wrongful ejectment—***
> *(1) Any tenant whose right to or enjoyment of the whole or a part of his holding is invaded or threatened to be invaded by his landholder or any other person may bring a suit for the grant of a perpetual injunction.*
> *(2) The court may after making the necessary enquiry grant a perpetual injunction in the following cases, namely-*
> *(a) if there exist no standard for ascertaining the actual damage caused or likely to be caused by the invasion;*
> *(b) if the invasion is such that pecuniary compensation does not afford adequate relief;*
> *(c) where it is probable that pecuniary compensation cannot be got for the invasion.*
> *(d) where the injunction is necessary to prevent a multiplicity of proceedings.*

5. उक्त राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 की धारा–188 के अवलोकन से स्पष्ट है कि धारा–188 के अन्तर्गत किसी खातेदारी आराजी पर खातेदारी अधिकारो की आमदरफत में किसी प्रकार का व्यवधान/अतिक्रमण किया जा रहा हो/किया जाने वाला हो उस स्थिति में व्यवधान उत्पन्न/अतिक्रमण करने वाले व्यक्ति को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किए जाने के प्रावधान बनाए गए है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 की धारा–188 की उपधारा–2 में स्थाई निषेधाज्ञा जारी किए जाने हेतु निम्न चार परिस्थितियां बताई गई हैः–

परिस्थिति	विवरण
1.	जब हो रहे/होने वाले संभावित अतिक्रमण/व्यवधान/घुसपैठ से होने वाले नुकसान के आंकलन हेतु कोई मानक/मापदण्ड अस्तित्व में नहीं हो।
2.	जब अतिक्रमण/व्यवधान/घुसपैठ इस प्रकार का हो कि नुकसान की आर्थिक भरपाई/क्षतिपूर्ति पर्याप्त राहत/संतुष्टि प्रदान नहीं करता हो।
3.	जब इस तथ्य की संभावना हो कि अतिक्रमण/व्यवधान/घुसपैठ से होने वाले नुकसान की आर्थिक भरपाई/क्षतिपूर्ति की प्रदानगी संभव नहीं होगी।
4.	जब निषेधाज्ञा राजस्व विवादों की बहुलता को रोकने हेतु आवश्यक हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2026.02.21 14:06:15 IST
Reason: SelfAttested

6. इस प्रकार स्पष्ट है कि प्रकरण में पत्रावली के अवलोकन के अनुसार स्पष्ट है कि प्रकरण में वादी का प्रथम अनुतोष स्वीकार होने के पश्चात् मुतनाजा आराजी पर वादी का संयुक्त काश्तकार घोषित होने के आधार पर वादी की संयुक्त खातेदारी होना पूर्ण रूप से साबित होती है। अतः मुतनाजा आराजी पर मुताबिक हिस्सा वादी का संयुक्त स्वामित्व अविवादित है। प्रकरण में वादीगण व प्रतिवादीगण की आराजी का विभाजन किया जाना प्रस्तावित है। उक्त विभाजन के पश्चात वादीगण व प्रतिवादीगण का पृथक–पृथक खाता कायम किया जाना प्रस्तावित है। साथ ही हाल में संयुक्त आराजी का रिकॉर्ड में पृथक अंकन किया जाकर मौके पर उसी अनुसार कब्जा भी पृथक से सुपुर्द किया जाना प्रस्तावित है। इस प्रकार वादीगण व प्रतिवादीगण खाता विभाजन के पश्चात रिकॉर्ड में व मौके पर पृथक–पृथक रूप से अपनी खातेदारी आराजी पर खातेदारी अधिकारों का उपयोग–उपभोग बिना किसी बाधा के करने हेतु अधिकृत व स्वतंत्र है। इस प्रकार वादीगण व प्रतिवादीगण खाता विभाजन के पश्चात रिकॉर्ड में व मौके पर पृथक–पृथक रूप से अपनी खातेदारी आराजी पर खातेदारी अधिकारों का उपयोग–उपभोग बिना किसी बाधा के करने में आपस में किसी प्रकार का अवरोध खातेदारी अधिकारों पर नकारात्मक प्रभाव उत्पन्न कर सकता है। इस आधार पर वादी व प्रतिवादीगण खाता विभाजन के पश्चात रिकॉर्ड में व मौके पर पृथक–पृथक रूप से अपनी खातेदारी आराजी पर खातेदारी अधिकारों का उपयोग–उपभोग बिना किसी बाधा के करने में आपस में किसी प्रकार का अवरोध उत्पन्न नहीं करने हेतु स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना उचित प्रतीत होता हैं।

7. अतः हाल सह काश्तकार बाद तकसीम अपने पृथक–पृथक संबंधित खाते में दर्ज खातेदारी आराजी के अलावा अन्य खातेदारी आराजी पर बेदखल करने का प्रयास नहीं करने एवं आमद रफत में मजाहमत उत्पन्न नहीं करने बाबत स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना उचित है। अतः

आदेष है कि

दावा वादीगण अन्तर्गत धारा–53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 बाबत तकसीम आराजी व स्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाता है एवं हाल आराजी खसरा संख्या संयुक्त आराजी खसरा संख्या 169/0.6394 है0, 76/4.6620 है0, 84/3.2537 है0, 128/1.5378 है0, 165/1.3355 है0, 159/0.0162 है0, 160/5.1800 है0 मौजा नई उन्दरी एवं खसरा संख्या 36/6.5964 है0, 36/1/0.0243 है0 मौजा चिमाणी विश्नोईयों की ढाणी पटवार मण्डल खुडाला तहसील गुड़ामालानी मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट मय नक्शा–ट्रेस नीचे अंकित तालिकानुसार डाला जाकर डिक्री किया जाता है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2026.02.21 14:06:15 IST
Reason: SelfAttested

पक्षकारान के मध्य राजस्व रिकॉर्ड में रास्ता कायम करते हुए अलग–अलग खाता प्रविष्टिया दर्ज किये जाने के आदेश तहसीलदार गुड़ामालानी को दिये जाते हैं।

खातेदार	हिस्सा	ग्राम	खसरा	रकबा	किस्म
नगाराम पुत्र उमाराम जाति कलबी रहन RMGB सड़ा	पूर्ण	चिमाणी विश्नोईयों की ढाणी	36	3.8426 है0	बा0दो0
कुल किता 01 रकबा 3.8426 है0					
रामाराम पुत्र गिरधारीराम पेमाराम पुत्र नेथीराम सीतादेवी पत्नी नेथीराम जाति कलबी सा0देह खातेदार रामाराम, पेमाराम, सीतादेवी का हिस्सा रहन BCCB सिणधरी	1/2 1/4 1/4	चिमाणी विश्नोईयों की ढाणी	36	2.7538 है0	बा0दो0
कुल किता 01 रकबा 2.7538 है0					
नगाराम पुत्र उमाराम रहन RMGB सड़ा मांगाराम पुत्र उमाराम रहन RMGB सड़ा लीलाराम पुत्र उमाराम रहन SBI गुड़ामालानी रामाराम पुत्र गिरधारी रहन BCCB सिणधरी पेमाराम पुत्र नेथीराम रहन BCCB सिणधरी सीतादेवी पत्नी नेथीराम रहन BCCB सिणधरी जाति कलबी सा0 देह खातेदार	1/4 1/4 1/4 1/8 1/16 1/16	चिमाणी विश्नोईयों की ढाणी	36/1	0.0243 है0	गै0मु0 रास्ता
		नई उन्दरी	169	0.1616 है0	बा0दो0
कुल किता 02 रकबा 0.1859 है0					
नगाराम पुत्र उमाराम जाति कलबी सा0 देह खातेदार रहन बा0स0भू0वि0 बैक	पूर्ण	नई उन्दरी	160	0.8660 है0	चा0चा0
कुल किता 01 रकबा 0.8660 है0					
रामाराम पुत्र गिरधारीराम रहन बा0स0भू0वि0 बैक नेथी पुत्र गिरधारी	1/2 1/2	नई उन्दरी	160	0.8660 है0	चा0चा0

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2026.02.21 14:06:15 IST
Reason: SelfAttested

रहन बा0स0भू0वि0 बैक जाति कलबी सा0 देह खातेदार					
कुल किता 01 रकबा 0.8660 है0					
नगाराम पुत्र उमाराम रहन RMGB सड़ा लीलाराम पुत्र उमाराम रहन बा0स0भू0वि0 बैक पेमाराम पुत्र नेथीराम रहन BCCB सिणधरी सीतादेवी पत्नी नेथीराम रहन BCCB सिणधरी रामाराम पुत्र गिरधारीराम रहन BCCB सिणधरी	1/4 1/2 1/16 1/16 1/8	नई उन्दरी	128 165 169	0.2428 है0 0.4532 है0 0.0324 है0	बा0दो0 बा0दो0 बा0दो0
कुल किता 03 रकबा 0.7284 है0					
रामा पुत्र गिरधारी रहन BCCB सिणधरी पेमाराम पुत्र नेथीराम रहन BCCB सिणधरी सीतादेवी पत्नी नेथीराम रहन BCCB सिणधरी कौम कलबी सा0 देह खातेदार	1/2 1/4 1/4	नई उन्दरी	231/84	1.0888 है0	बा0दो0
कुल किता 01 रकबा 1.0888 है0					
लीलाराम पुत्र उमाराम कौम कलबी सा0 देह खातेदार रहन एसबीआई गुड़ामालानी	पूर्ण	नई उन्दरी	76 231/84 128 165 169	1.5558 है0 1.0663 है0 1.2950 है0 0.8823 है0 0.4454 है0	बा0दो0 बा0दो0 बा0दो0 बा0दो0 बा0दो0
कुल किता 05 रकबा 5.2448 है0					
मांगाराम पुत्र उमाराम जाति कलबी सा0 देह खातेदार रहन RMGB सड़ा हि0 7479/8345 रहन बा0स0भू0वि0 बैक हि0 866/8345	पूर्ण	नई उन्दरी	76 231/84	3.1062 है0 1.0663 है0	बा0दो0 बा0दो0
कुल किता 02 रकबा 4.1725 है0					
उकाराम पुत्र हरदाराम गोवाराम पुत्र निंबाराम छगनाराम पुत्र तुलछा तेजाराम पुत्र लाधाराम दरगीदेवी पत्नी निंबाराम दानाराम पुत्र निंबाराम पुरखाराम पुत्र मानाराम	1/6 1/48 1/24 1/48 1/48 1/48 1/8	नई उन्दरी	159 160	0.0162 है0 3.448 है0	गै0मु0 बेरा चा0चा0

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2026.02.21 14:06:15 IST
Reason: SelfAttested

प्रभूराम पुत्र निंबाराम पांचाराम पुत्र तुलछा रहन एसबीआई राणा प्रताप बाजार गुड़ामालानी भूराराम पुत्र हरदाराम मोटाराम पुत्र लाधाराम रूखमोदेवी पत्नी लाधाराम लालाराम पुत्र निंबाराम वालाराम पुत्र हरदाराम वालाराम पुत्र निंबाराम विरमाराम पुत्र लाधाराम शंकराराम पुत्र लाधाराम हिन्दूराम पुत्र लाधाराम रहन एसबीआई गुड़ामालानी होथीराम पुत्र तुलछा रहन एसबीआई राणा प्रताप बाजार गुड़ामालानी कौम कलबी सा0 देह खातेदार	1/48 1/24 1/6 1/48 1/48 1/48 1/6 1/48 1/48 1/48 1/48				
कुल किता 02 रकबा 3.4642 है0					

उक्तानुसार पक्षकारान अपने—अपने हिस्से की खातेदारी आराजी को अपने नाम खातेदारी में पृथक—पृथक खाता दर्ज कराने के अधिकारी है तथा असल प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वादी के उपरोक्त दर्ज पृथक खाता आराजी पर जबरन कब्जा व बेदखली न करे, ना ही किसी प्रकार के कब्जे काश्त में रूकावट व मजाहमत पैदा करें तथा शक्ल मौका आराजी ना बदले।

नक्शा कुर्रेजात निर्णय का अनन्य भाग रहेगा। इसी अनुसार पृथक से पर्चा डिक्री तैयार की जाकर तहसीलदार गुड़ामालानी को पालनार्थ हेतु भिजवाई जावे। अहकाम जारी हो। पक्षकारान खर्चा अपना—अपना वहन करेगें।

यह निर्णय आज दिनांक 09.02.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर कर एवं मुहर युक्त जारी किया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया।

(केशव कुमार मीना आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर
गुढामालानी

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2026.02.21 14:06:15 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय

सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी

गुढामालानी

(पीठासीन अधिकारी –केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

वाद संख्याः– 2025/411 दर्ज तिथिः–09.06.2025

1. लीलाराम पुत्र उमाराम
   जाति कलबी निवासी नई उन्दरी तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर

......................वादी

बनाम

1. नगाराम पुत्र उमाराम
2. मांगाराम पुत्र उमाराम
3. पेमाराम पुत्र नेथीराम
4. रामाराम पुत्र गिरधारीराम
5. सीतादेवी पत्नी नेथीराम
6. उकाराम पुत्र हरदाराम
7. गोवाराम पुत्र निंबाराम
8. छगनाराम पुत्र तुलछाराम
9. तेजाराम पुत्र लाधाराम
10. दरगीदेवी पत्नी निंबाराम
11. दानाराम पुत्र निंबाराम
12. नेथीराम पुत्र गिरधारीराम
13. पुरखाराम पुत्र मानाराम
14. प्रभूराम पुत्र निंबाराम
15. पांचाराम पुत्र तुलछाराम
16. भूराराम पुत्र हरदाराम
17. मोटाराम पुत्र लाधाराम
18. रूखमोंदेवी पत्नी लाधाराम
19. लालाराम पुत्र निंबाराम
20. वालाराम पुत्र हरदाराम
21. वालाराम पुत्र निंबाराम
22. विरमाराम पुत्र लाधाराम
23. शंकराराम पुत्र लाधाराम
24. हिन्दूराम पुत्र लाधाराम
25. होथीराम पुत्र तुलछाराम
    जाति कलबी निवासी नई उन्दरी तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर

.....................असल प्रतिवादी

26. शाखा प्रबंधक, जेटीजीबी शाखा

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2026.02.21 14:06:15 IST
Reason: SelfAttested

27. शाखा प्रबंधक बीसीसीबी सिणधरी
28. शाखा प्रबंधक एसबीआई बैंक शाखा गुड़ामालानी
29. शाखा प्रबंधक बालोतरा सहकारी भूमि विकास बैंक शाखा बालोतरा
30. तहसीलदार एवं उपपंजीयक गुड़ामालानी जिला बाड़मेर।

...............तरतीबी प्रतिवादी

उपस्थित अधिवक्ता
वादीः– श्री गंगाराम चौधरी
प्रतिवादीगणः– एक तरफा

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा– 53,188
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955

–:पर्चा डिक्रीः–

दावा वादीगण अन्तर्गत धारा–53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 बाबत तकसीम आराजी व स्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाता है एवं हाल आराजी खसरा संख्या संयुक्त आराजी खसरा संख्या 169/0.6394 है0, 76/4.6620 है0, 84/3.2537 है0, 128/1.5378 है0, 165/1.3355 है0, 159/0.0162 है0, 160/5.1800 है0 मौजा नई उन्दरी एवं खसरा संख्या 36/6.5964 है0, 36/1/0.0243 है0 मौजा चिमाणी विश्नोईयों की ढाणी पटवार मण्डल खुडाला तहसील गुड़ामालानी मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट मय नक्शा–ट्रेस नीचे अंकित तालिकानुसार दावा वाद डिक्री किया जाता है। पक्षकारान के मध्य राजस्व रिकॉर्ड में रास्ता कायम करते हुए अलग–अलग खाता प्रविष्टिया दर्ज किये जाने के आदेश तहसीलदार गुड़ामालानी को दिये जाते हैं।

खातेदार	हिस्सा	ग्राम	खसरा	रकबा	किस्म
नगाराम पुत्र उमाराम जाति कलबी रहन RMGB सड़ा	पूर्ण	चिमाणी विश्नोईयों की ढाणी	36	3.8426 है0	बा0दो0
कुल किता 01 रकबा 3.8426 है0					
रामाराम पुत्र गिरधारीराम पेमाराम पुत्र नेथीराम सीतादेवी पत्नी नेथीराम जाति कलबी सा0देह खातेदार	1／2 1／4 1／4	चिमाणी विश्नोईयों की ढाणी	36	2.7538 है0	बा0दो0

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2026.02.21 14:06:15 IST
Reason: SelfAttested

रामाराम, पेमाराम, सीतादेवी का हिस्सा रहन BCCB सिणधरी					
कुल किता 01 रकबा 2.7538 है0					
नगाराम पुत्र उमाराम रहन RMGB सड़ा मांगाराम पुत्र उमाराम रहन RMGB सड़ा लीलाराम पुत्र उमाराम रहन SBI गुड़ामालानी रामाराम पुत्र गिरधारी रहन BCCB सिणधरी पेमाराम पुत्र नेथीराम रहन BCCB सिणधरी सीतादेवी पत्नी नेथीराम रहन BCCB सिणधरी जाति कलबी सा0 देह खातेदार	1/4 1/4 1/4 1/8 1/16 1/16	चिमाणी विश्नोईयों की ढाणी	36/1	0.0243 है0	गै0मु0 रास्ता
		नई उन्दरी	169	0.1616 है0	बा0दो0
कुल किता 02 रकबा 0.1859 है0					
नगाराम पुत्र उमाराम जाति कलबी सा0 देह खातेदार रहन बा0स0भू0वि0 बैक	पूर्ण	नई उन्दरी	160	0.8660 है0	चा0चा0
कुल किता 01 रकबा 0.8660 है0					
रामाराम पुत्र गिरधारीराम रहन बा0स0भू0वि0 बैक नेथी पुत्र गिरधारी रहन बा0स0भू0वि0 बैक जाति कलबी सा0 देह खातेदार	1/2 1/2	नई उन्दरी	160	0.8660 है0	चा0चा0
कुल किता 01 रकबा 0.8660 है0					
नगाराम पुत्र उमाराम रहन RMGB सड़ा लीलाराम पुत्र उमाराम रहन बा0स0भू0वि0 बैक पेमाराम पुत्र नेथीराम रहन BCCB सिणधरी सीतादेवी पत्नी नेथीराम रहन BCCB सिणधरी रामाराम पुत्र गिरधारीराम रहन BCCB सिणधरी	1/4 1/2 1/16 1/16 1/8	नई उन्दरी	128 165 169	0.2428 है0 0.4532 है0 0.0324 है0	बा0दो0 बा0दो0 बा0दो0
कुल किता 03 रकबा 0.7284 है0					
रामा पुत्र गिरधारी	1/2	नई उन्दरी	231/84	1.0888 है0	बा0दो0

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2026.02.21 14:06:15 IST
Reason: SelfAttested

रहन BCCB सिणधरी पेमाराम पुत्र नेथीराम रहन BCCB सिणधरी सीतादेवी पत्नी नेथीराम रहन BCCB सिणधरी कौम कलबी सा0 देह खातेदार	 1/4 1/4				
कुल किता 01 रकबा 1.0888 है0					
लीलाराम पुत्र उमाराम कौम कलबी सा0 देह खातेदार रहन एसबीआई गुड़ामालानी	पूर्ण	नई उन्दरी	76 231/84 128 165 169	1.5558 है0 1.0663 है0 1.2950 है0 0.8823 है0 0.4454 है0	बा0दो0 बा0दो0 बा0दो0 बा0दो0 बा0दो0
कुल किता 05 रकबा 5.2448 है0					
मांगाराम पुत्र उमाराम जाति कलबी सा0 देह खातेदार रहन RMGB सड़ा हि0 7479/8345 रहन बा0स0भू0वि0 बैक हि0 866/8345	पूर्ण	नई उन्दरी	76 231/84	3.1062 है0 1.0663 है0	बा0दो0 बा0दो0
कुल किता 02 रकबा 4.1725 है0					
उकाराम पुत्र हरदाराम गोवाराम पुत्र निंबाराम छगनाराम पुत्र तुलछा तेजाराम पुत्र लाधाराम दरगीदेवी पत्नी निंबाराम दानाराम पुत्र निंबाराम पुरखाराम पुत्र मानाराम प्रभूराम पुत्र निंबाराम पांचाराम पुत्र तुलछा रहन एसबीआई राणा प्रताप बाजार गुड़ामालानी भूराराम पुत्र हरदाराम मोटाराम पुत्र लाधाराम रूखमोदेवी पत्नी लाधाराम लालाराम पुत्र निंबाराम वालाराम पुत्र हरदाराम वालाराम पुत्र निंबाराम विरमाराम पुत्र लाधाराम शंकराराम पुत्र लाधाराम हिन्दूराम पुत्र लाधाराम रहन एसबीआई गुड़ामालानी होथीराम पुत्र तुलछा	1/6 1/48 1/24 1/48 1/48 1/48 1/8 1/48 1/24 1/6 1/48 1/48 1/48 1/6 1/48 1/48 1/48 1/48	नई उन्दरी	159 160	0.0162 है0 3.448 है0	गै0मु0 बेरा चा0चा0

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2026.02.21 14:06:15 IST
Reason: SelfAttested

रहन एसबीआई राणा प्रताप बाजार गुड़ामालानी कौम कलबी सा0 देह खातेदार					
कुल किता 02 रकबा 3.4642 है0					

उक्तानुसार पक्षकारान अपने—अपने हिस्से की खातेदारी आराजी को अपने नाम खातेदारी में पृथक—पृथक खाता दर्ज कराने के अधिकारी है तथा असल प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वादी के उपरोक्त दर्ज पृथक खाता आराजी पर जबरन कब्जा व बेदखली न करे, ना ही किसी प्रकार के कब्जे काश्त में रूकावट व मजाहमत पैदा करें तथा शक्ल मौका आराजी ना बदले।

नक्शा कुर्रेजात निर्णय का अनन्य भाग रहेगा। अहकाम जारी हो। पक्षकारान खर्चा अपना—अपना वहन करेगें।

यह डिक्री आज दिनांक 09.02.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर कर एवं मुहर युक्त जारी किया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया।

(केशव कुमार मीना आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर
गुढामालानी

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2026.02.21 14:06:15 IST
Reason: SelfAttested